

METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION



#OPERATIONCONVICTION

#AMETHIPOLICE

पुलिस महानिदेशक उ०प्र० महोदय द्वारा चलाये जा रहे “operation conviction” अभियान के अन्तर्गत अमेठी पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप लूट के अभियुक्त को मा० न्यायालय द्वारा 07 वर्ष का साधारण कारावास व 500 रु० अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी ।

अपराध का विवरण:-

सादर अवगत कराना है वादी मुकदमा के दिनांक 23.08.2016 समय 10.30 बजे अभियुक्त द्वारा मोबाइल व 5500 रु० लूट लेना व गाली देते हुए मारने की धमकी देने की तहरीरी सूचना पर मु०अ०सं० 652/2016 धारा-392/504/506 भादवि थाना गौरीगंज पर पंजीकृत किया गया था ।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करके माननीय न्यायालय सुल्तानपुर में सशक्त प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही समयबद्ध करायी गयी जिसके फलस्वरूप माननीय न्यायालय एफटीसी सुल्तानपुर द्वारा अभियुक्त को 07 वर्ष का साधारण कारावास व 500 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी । अभियुक्त को सजा दिलाने में अभियोजन अधिकारी व पैरोकार का सराहनीय योगदान रहा ।

सजा का विवरण:-

- अभियुक्त को 07 वर्ष साधारण कारावास ।
- अभियुक्त को 500 रुपये का अर्थदण्ड ।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम व पता:-

- सुनील कुमार पुत्र नन्हकऊ निवासी रामपुर दुवापल थाना करौदीकला जनपद सुलतानपुर ।

एपीओ सुश्री वन्दना
पाठक

पैरोकार का० संतोष
तिवारी



@amethipolice



@amethipolice



सोशल मीडिया सेल अमेठी



#Amethipolice



Amethipolice